भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या96*

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस स्टेशनों और कारागृहों में सुधार हेतु बिहार को वित्तीय सहायता

***96. डॉ0 अनिल कुमार साहनीः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य को पुलिस स्टेशनों और कारागृहों में सुधार हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;
(ख) क्या महिला कैदियों के बच्चों की शिक्षा इत्यादि हेतु कोई विशेष सहायता दी गई है; और
(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 04.03.2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर में विवरण

(क): पिछले वित्तीय वर्ष (2013-14) के दौरान एमपीएफ योजना के अंतर्गत बिहार को पुलिस स्टेशनों के निचली श्रेणी के अधीनस्थ कार्मिकों और ऊपरी श्रेणी के अधीनस्थ कार्मिकों के लिए क्वार्टरों के निर्माण, बिहार होम गार्ड प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय यूनिट और बिहार सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण आदि के लिए 51.31 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। बिहार राज्य को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जेलों के उन्नयन के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना दिनांक 31.03.2009 को बंद हो चुकी है।

(ख): बिहार राज्य में महिला कैदियों के बच्चों की शिक्षा आदि के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ग): उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****